डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय,

मोहान रोड, उ0प्र0 लखनऊ। दूरभाष–0522–2998380,2998381,,3294434 वेबसाइट : http:/dsmru.up.nic.ir

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति / अध्यक्ष,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. सचिव,
विकलांग कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

5. श्री सुनील कुमार चौधरी,
सदस्य कार्यपरिषद।

6. निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7. कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

8. वित्त अधिकारी,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 1327/पत्रा0सं0–57 / बै0वि0समिति / 2014–15 लखनऊ दिनॉक– 29 अगस्त, 2014

विषय : <u>डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2014 की कार्यवृत्त का प्रेषण।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 'बारहवीं बैठक' दिनांक 21.08.2014 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

भवदीय,

29/8/14

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव

Seen

वित्तीय...

30/8/14

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की 'बारहवीं बैठक' दिनांक–21 अगस्त, 2014 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2014 को 12:30 बजे प्रशासनिक भवन के पंचम तल पर स्थित कुलपति महोदय के सभागार में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने प्रतिभाग किया:–

1.	डा0 निशीथ राय कुलपति डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	श्री सुनील कुमार, उप सचिव विकलांग कल्याण विभाग	सदस्य
4.	श्री सुनील कुमार चौधरी, सदस्य कार्यपरिषद	सदस्य
5.	श्री राम सहाय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ	सदस्य
6.	श्री अखिलेन्द्र कुमार, कुलसचिव डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार दीक्षित वित्त अधिकारी डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या: 12.1

दिनांक 07.05.2014 को सम्पन्न वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक' के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 07.05.2014 को संपन्न हुई वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक' का कार्यवृत्त पत्रांक–210 / पत्रा0स0–057 / वि0वि0 / बै0वि0समिति / 2013–14 लखनऊ दिनांक 20.05.2014 द्वारा वित्त समिति के सदस्यों को प्रेषित किया गया था इस पर किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

अतः वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक' के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या: 12.2

दिनांक 07.05.2014 को सम्पन्न वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या

दिनांक 07.05.2014 को सम्पन्न वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। वित्त समिति कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं0	बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
11.1	वित्त समिति की दशम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	वित्त समिति की दशम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
11.2	वित्त समिति द्वारा दशम् बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11.3	वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम त्रैमास हेतु शासन द्वारा आंवटित धनराशि रू0 225.00 लाख के आय व्ययक के अनुमान पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।	समिति के अनुमोदनानुसार विभिन्न मदों में व्यय किये जा रहे है।
11.4	वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र एवं उसकी आड़िट रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11.5	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो के पुस्तकालयों हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर वाली फर्म मेसर्स रेपिड बुक सर्विसेज से क्रय किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।
11.6	वित्त समिति द्वारा विकलांग विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क एवं छात्रावास शुल्क को माफ किये जाने एवं मेस शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद की दिनांक 04.06.2014 को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.7	विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्रकल्याण, उप अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कुलानुशासक एवं सहायक कुलानुशासक को दूरभाष हेतु प्रतिमाह प्रतिपूर्ति एवं प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए आगामी कार्य परिषद की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद की दिनांक 04.06.2014 को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.8	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्मिकों को वोडाफोन का सी0यू0जी0 प्लान की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन से अनुमति प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद द्वारा शासन को प्रकरण संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है।
11.9	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिकों को पुरस्कार स्वरूप मानदेय प्रदान किये जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11.10	वित्त समिति द्वारा नये वाहन के क्रय हेतु बजट प्राविधान के अतिरिक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

	निर्देश प्रदान किये गये।	
	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिको को यात्राओं हेतु शासन द्वारा निर्गत संशोधित शासनादेश के अनुसार भुगतान कराने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	वित्त समिति के प्रस्तावानुसार कार्यपरिषद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।
.12	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य व्यैक्तिक वेतन स्वीकृत किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।
.13	वित्त समिति द्वारा विकलांग कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव का वेतनमान उच्चीकृत करने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।
1.14	वित्त समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क को गठित कमेटी की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।
11.15	वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ दो वाहनो का क्रय शासन से अनुमति प्राप्त कर किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जा रही है।
11.16	(1) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित शिक्षकवृन्द को वाचक भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
	(2) वित्त समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 में प्रस्तावित **B.Com LLB (Hons)** पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विधिक परिषद की अनिवार्य रूप से मान्यता/औपचारिक अनुमोदन के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद की दिनांक 04.06.2014 को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।
	(3) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले श्रुतिलेखको को अन्य विश्वविद्यालय की भॉति मानदेय प्रदान किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।
	(4) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता स्तर पर आकस्मिक आवश्यकता हेतु **Contigency fund** की स्थापना किये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए व्यय करने संबंधी निर्देशों के साथ कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद की दिनांक 04.06.2014 को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।
	(5) वित्त समिति द्वारा शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत	समिति के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जा

नियुक्त आचार्यो के वेतन निर्धारण के संबंध में शासनादेश संख्या–डी0एस0–92 / 65–3–1–2010–22 (वि0वि) / 2009टी0सी0 दिनांक 21.6.2010 के अनुसार यथा प्रार्थिक वेतन संरक्षण प्रदान करने तथा शासनादेश संख्या–3937(1) / 15(15) / 95–41 / (1) / 80 दिनांक 10 जनवरी, 1996 में विहित प्राविधानानुसार 01 जुलाई 2011 का उन्हे देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गयी।	रही है।
(6) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में बाल्य देखभाल केन्द्र की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए अन्य विभागों में संस्थाओं में संचालित बाल्य देखभाल केन्द्रों का अध्ययन करके सुविचारित प्रस्ताव को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर बाल्य देखभाल केन्द्र की स्थापना विश्वविद्यालय में कर दी गयी है।
(7) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक संवर्ग के कार्मिको को डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ की भॉति चिकित्सा प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए सुविचारित प्रस्ताव को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।
(8) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किये जाने पर आने वाले व्ययभार पर अनुमोदन प्रदान करते हुए कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	समिति के प्रस्तावानुसार कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

निर्णयः—वित्त समिति द्वारा ग्यारहवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 12.3

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा अनुदान संख्या–79 के अन्तर्गत लेखानुदान के रूप में प्रथम 04 माह हेतु मानक मद सं0–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू0 166.66 लाख एवं मानक मद सं0–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया था। तत्क्रम में वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक जो दिनांक 07.05.2014 को आहूत की गयी थी में प्रथम 04 माह हेतु धनराशि रू0 225.00 लाख का आय व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिस पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। शासन द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–588/65–2.–2014–21(बजट) /2014 दिनांक 24.04.2014 के क्रम में शासनादेश संख्या–1309/ 65–2–2014– 21(बजट)/2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय हेतु शेष 8 माहो के लिए स्वीकृत बजट में मानक मद संख्या–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू0 333.34 लाख एवं मानक मद संख्या–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मानक मद संख्या–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) मद में कुल धनराशि रू0 500.00 लाख एवं मानक मद संख्या–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल धनराशि रू0 300.00 का प्राविधान विश्वविद्यालय हेतु किया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आय व्ययक अनुमान को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है जिसका विवरण निम्नवत् है:–

तालिका–1

वित्तीय वर्ष 2014–15 का गैर वेतन मद में प्रस्तावित आय व्ययक अनुमान

(धनराशि लाख रू0)

क्रम सं0	मद का नाम	आय–व्ययक अनुमान 2013–14	पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान 2013–14	वास्तविक आकड़े 2013–14 (व्यय)	प्रथम त्रैमास हेतु आय–व्ययक अनुमान 2014–15	दिनांक 31.07.2014 तक व्यय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय व्ययक अनुमान 2014–15
1	यात्रा भत्ता व्यय	3.00	3.00	1.95	5.00	1.28	7.00
2	मशीन एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5.00	5.00	4.46	2.00	1.05	10.00
3	कम्प्यूटर प्रिन्टर्स, हार्डवेयर, साफ्टवेयर क्रय आदि	10.00	10.00	10.00		-	10.00
4	कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत संबंधी स्टेशनरी का क्रय	7.00	7.00	5.80	5.00	3.75	10.00
5	लेखन सामग्री एवं फर्मो की छपाई	4.00	4.00	1.29	2.00		5.00
6	टेलीफोन	3.00	3.00	1.72	2.00	.77	3.00
7	कार्यालय व्यय	10.00	10.00	7.58	5.00	5.68	15.00
8	पुस्तक एवं जनरल क्रय	20.00	20.00	8.24	2.00	.51	25.00
9	वाहन व्ययः– 1. वाहन अनुरक्षण 2. ईधन व्यय	15.00	15.00	13.30 —	6.00 —	2.68	15.00
10	विज्ञापन	5.00	15.00	14.56	5.00	4.98	20.00
11	विद्युत उपभोग व्यय	45.00	80.00	65.58	25.00	12.07	75.00
12	अतिथि सत्कार व्यय	2.00	2.00	.05	2.00	.93	3.00
13	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00	1.48	2.00	-	-
14	अन्य अनुरक्षण व्ययः– 1. सफाई 2. सुरक्षा 3. पेस्ट कन्ट्रोल	-	-	-	-	-	10.00
15	सम्प्रीक्षा बैलेन्सशीट एवं कर सलाहकार सम्बन्धी व्यय					-	9.00
16	किराये के वाहन पर व्यय	2.00	5.00	.23	1.00	-	-
17	सेवा प्रदाता एजेन्सी का भुगतान	45.00	45.00	42.92	20.00	18.84	60.00
18	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	2.00	2.00	-	1.00	-	-
19	औषधि एवं रसायन	2.00	2.00	-	1.00	-	-
20	विर्द्यजन सहित धर्नाजन	5.00	5.00	.27		-	-
21	गरीब छात्र सहायता कोष	2.00	2.00		1.00	-	5.00
22	अन्य व्यय	10.00	10.00	5.45	5.00	6.86	15.00
23	स्ट्राफकार/वाहन क्रस	8.00	8.00	7.97	3.00	2.73	3.00
24	केन्द्रीय लाईबेरी की स्थापना	10.00	10.00	-	5.00	-	-
25	म्यूटकोट का निर्माण	60.00	12.00	-	-	-	-
26	छात्रावास में आधुनिक रसोई की स्थापना	115.00	115.00	-	-	-	-
27	जिमनेजियम/हेल्थ सेंटर की स्थापना	5.00	5.00	-	-	-	-
	कुल व्यय–	400.00	400.00	192.85	100.00	62.13	300.00

विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान एवं वित्ती॰ 2013–14 में विश्वविद्यालय की प्राप्तियों को आधार मानते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्राप्तियों आय.व्ययक अनुमान तैयार किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है।

तालिका–2

(धनराशि लाख रू0)

क्रम सं0	मद का नाम	आय–व्ययक अनुमान 2013–14	वास्तविक आकड़े 2013–14 (प्राप्ति)	आय– व्ययक अनुमान 2014–15
1	2	3	4	5
(अ)	उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान			
1	31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	500.00	500.00	500.00
2	20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	400.00	280.77	300.00
	कुल योग	900.00	780.77	800.00
(ब)	विश्वविद्यालय की प्राप्तिया–	-	-	-
1	पंजीकरण शुल्क	-	2.62	2.62
2	शिक्षण शुल्क	-	106.25	106.25
3	प्रवेश शुल्क	-	1.42	1.42
4	छात्रावास शुल्क	-	4.28	4.28
5	कम्प्यूटर शुल्क	-	2.76	2.76
6	परीक्षा शुल्क	-	8.60	8.60
7	पुस्तकालय शुल्क	-	4.17	4.17
8	काशनमनी (विश्वविद्यालय)	-	14.47	14.47
9	काशनमनी (छात्रावास)	-	.56	.56
10	ब्याज से प्राप्त आय (अनुदान)	-	19.64	19.64
11	अन्य स्रोतों से प्राप्त आय	-	.27	.27
12	बीमा शुल्क	-	.61	.61
	कुल योग–	-	146.01	146.01
	महा योग–(अ+ब)	-	926.78	946.01

तालिका–3

निजी स्रोतो से प्राप्तियों के सापेक्ष व्ययः–

(धनराशि लाख रू0)

क्रम सं0	मद का नाम	आय–व्ययक अनुमान 2014–15
1.	रीडिंग मैटेरियल पर व्यय	2.00
2	परीक्षाओं के संचालन पर व्यय	8.00
3	काशनमनी का भुगतान	10.00
4	अतिथि सत्कार व्यय	5.00
5	समिति के सदस्यों के मानदेय एवं यात्रा पर व्यय	10.00
6	अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय एवं यात्रा पर व्यय	10.00
7	शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदो पर भर्ती प्रक्रिया संबंधी व्यय	15.00
8	दीक्षांत समारोह पर व्यय	15.00
9	प्रवेश संबंधी मुद्रण एवं छपाई पर व्यय	2.00
10	मानदेय	1.00

11	प्रवेश समिति संबधी व्यय	2.00
12	देश / विदेश में आयोजित शैक्षिक गोष्ठियों / सम्मेलन पर व्यय	5.00
13	छात्रावास के रख रखाव पर व्यय	10.00
14	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	5.00
15	औषधि और रसायन	2.00
16	किसये के वाहन पर व्यय	5.00
	कुल योग	107.00

वित्त समिति, वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा शासन के वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में वेतन मद में प्राविधानित / अनुमोदित अनुदान की धनराशि रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक तथा गैर वेतन मद में प्राविधानित / अनुमोदित धनराशि रू0 3.00 करोड़ के सापेक्ष तालिका–1 में विभिन्न मदों मे प्रस्तावित धनराशि तथा विश्वविद्यालय के निजी स्रोतो से प्राप्त आय के सापेक्ष तालिका–3 में दिये गये प्रस्तावित धनराशि के बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या: 12.4

वित्तीय वर्ष– 2011–12 एवं 2012–13 के सम्परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग–1 द्वारा दिनांक 19.02.2009 को प्रकाशित असाधारण गजट संख्या–340/79 –वि–1–09–1(क)36–2008 के प्रस्तर–34 (2)में विश्वविद्यालय की लेखा सम्परीक्षा वर्ष में न्यूनतम एक बार निदेशक स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, से कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लेखो के सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग इलाहाबाद से करायी गयी है । वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के सम्परीक्षा हेतु सम्परीक्षक दल द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्परीक्षा शुल्क मेमों के अनुसार 68 मानव दिवस के लिए रू0 9500/–प्रति मानव दिवस की दर से सम्परीक्षा शुल्क के रूप में कुल धनराशि रू0 6,46,000/– को राजकीय कोष के निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जाना है।

वित्त समिति कृपया स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को उपरोक्त धनराशि रू0 6,46,000/–के भुगतान पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान पर अनुमोदन प्रदान किया ।

– निर्विरोध पास

बिन्दु संख्या: 12.5

विश्वविद्यालय में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सृजित लिपिकीय एवं आशुलिपिक संवर्गों के पुनर्गठित ढांचे को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के पदों के सृजन शासनादेश संख्या–2893/65–2–2008–57 (विविध)/2008 विकलांग कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 के द्वारा विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है, जिसमें सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान ढांचे को विकलांग जन विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–66/डी0एस0–20/65–3–2014–6 (वि0वि0)/2011 दिनाँक 12 अगस्त, 2014 **(परिशिष्ट–1)** एवं शासनादेश संख्या–67/डी0एस0–20/65–3–2014–6(वि0वि0)/2011 दिनाँक 12 अगस्त, 2014 **(परिशिष्ट–2)** के द्वारा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2665 (1)/दस–54 (एम)2008टी0सी0, दिनाँक 26.09.2013 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित करते हुए ढांचा पुनर्गठित किया गया है :–

(1) लिपिकीय संवर्ग का ढांचा :–

वर्तमान ढांचा				पुनर्गठित ढांचा		
कम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	कनिष्ठ लिपिक	113	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक	113	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000
2-	वरिष्ठ लिपिक	37	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक	54	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800
3	वरिष्ठ सहायक	17	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800			
4	कार्यालय अधीक्षक	09	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	प्रधान सहायक	09	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200
	योग	176		–	176	

(2) आशुलिपिक संवर्ग का ढांचा :–

वर्तमान ढांचा				पुनर्गठित ढांचा		
कम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	आशुलिपिक ग्रेड–2	11	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	आशुलिपिक	11	वेतन बैण्ड–1 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800
2	आशुलिपिक ग्रेड–1	06	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	09	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	03	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200			
4	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	02	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	02	वेतन बैण्ड–2 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600
	योग	22			22	

उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–59 (एम)/2008, दिनाँक 24.12.2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जाना है।

तद्नुसार विश्वविद्यालय में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सृजित लिपिकीय एवं आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान ढांचें को उपरोक्त तालिकानुसार पुनर्गठित ढांचे को एवं शासनादेश में दी गयी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया वित्त समिति लिपिकीय एवं आशुलिपिक संवर्गों के ढांचा पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा लिपिकीय संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग के ढांचे में पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेशो को अंगीकृत किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या: 12.6

विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत सृजित विशेष शिक्षकों के पदों के वेतनमान के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–56 / डी0एस0–55 / 65–3–2014–07 (वि0वि0) / 2009 टी0सी0–1 दिनांक 30.06.2014 (परिशिष्ट–क) द्वारा विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ विभाग, श्रवणबाधितार्थ विभाग एवं मानसिक मंदितार्थ विभाग में सृजित विशेष शिक्षकों के पदों के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त शासनादेश में शासन द्वारा विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ विभाग, श्रवणबाधितार्थ विभाग एवं मानसिक मंदितार्थ विभाग के अंतर्गत शासनादेश सं0 2893 / 65–2–2008–57(विविध) / 2008 दिनांक 30.12.2008 द्वारा वेतनमान रू0 5500–175–9000 में सृजित विशेष शिक्षकों के पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान यथा वेतन बैंण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 उक्त पदों के सृजन की तिथि(30 दिसम्बर, 2008) से निम्नवत् अनुमन्य किया गया है:–

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	सदृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन
1	विशेष शिक्षक दृष्टिबाधितार्थ विभाग	रू0 5500–175–9000	रू0 9300–34800 (ग्रेड पे– 4600) वेतन बैण्ड–2
2	विशेष शिक्षक श्रवणबाधितार्थ विभाग	रू0 5500–175–9000	रू0 9300–34800 (ग्रेड पे– 4600) वेतन बैण्ड–2
3	विशेष शिक्षक मानसिक मंदितार्थ विभाग	रू0 5500–175–9000	रू0 9300–34800 (ग्रेड पे– 4600) वेतन बैण्ड–2

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत सृजित विशेष शिक्षको को पदों के सृजन की तिथि(30 दिसम्बर,2008) से रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किया जाना है, जिस पर आने वाले व्यय भार पर अनुमोदन हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

वित्त समिति कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत सृजित विशेष शिक्षको के पदो के वेतमान को पुनरीक्षित किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के तथा विशेष शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं कार्य को देखते हुए प्रशासनिक एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधियों के सुझावानुसार इन पदों को असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पद पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या: 12.7

बी.सी.आई. एवं आर.सी.आई. की टीमो का विश्वविद्यालय में प्रस्तावित निरीक्षण को दृष्टिगत रखते विशेष शिक्षा संकाय एवं विधि संकाय के पुस्तकालयों हेतु पूर्व में स्वीकृत टेण्डर के आधार पर पुस्तको के क्रय एवं भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

शैक्षिक सत्र 2014–15 से विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत D.Ed एवं M.Ed तथा विधि संकाय के अन्तर्गत पाँच वर्षीय B.Com.LLB पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने प्रस्तावित है। इन पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त करने हेतु भारतीय पुर्नवास परिषद तथा बार काउंसिल आफ इण्डिया की टीमो का निरीक्षण प्रस्तावित था इस हेतु D.Ed, M.Ed तथा B.Com.LLB की पुस्तको हेतु लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य आवश्यक था। अतः कुलपति महोदय के अनुमोदन से विधि संकाय एवं विशेष शिक्षा संकाय की पुस्तको का क्रय निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुये किया गया। इस हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स रेपिड बुक सर्विसेज, लखनऊ को पूर्व की भॉति 26% छूट पर क्रय आदेश प्रेषित कर पुस्तको की आपूति करायी गयी है। विशेष शिक्षा संकाय की पुस्तको हेतु धनराशि रू० 12,03,560.00 लाख एवं विधि पाठ्यक्रम की पुस्तको हेतु धनराशि रू० 10,60,533.00 लाख का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा मेसर्स रेपिड बुक सर्विसेज, लखनऊ को किया गया है।

वित्त समिति उपरोक्त कार्य पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

निर्णयः—वित्त समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या: 12.08

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

1— चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के नियत मानदेय में वृद्धि एवं भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता ऐजन्सी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कार्मीको की सेवा प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा श्रम विभाग के शासनादेश संख्या–194/36–3–2014–07(न्यू0वेव)/04 दिनांक 28.01.2014 के क्रम में निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। जिसके माध्यम से अकुशल श्रमिको को धनराशि रू० 6362.27 एवं कुशल श्रेणी हेतु धनराशि रू० 7,839.42 का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में कुशल श्रेणी के 09 एवं अकुशल श्रेणी के 42 सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में आउटसोर्सिंग के आधार पर ली जा रहीं सेवाओं के लिए किए जा रहे भुगतान के अनुसार ही डॉ शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेसी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार नियत मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव है:–

क्र0सं0	श्रेणी	नियत मानदेय प्रति माह धनराशि
01.	वाहन चालक	8,500.00
02.	चपरासी एवं सफाई कर्मी	8,000.00

उपरोक्तानुसार कुशल श्रेणी के कार्मिको को धनराशि रू० 8,500.00 एवं अकुशल श्रेणी के कार्मिको को धनराशि रू० 8,000.00 का भुगतान किया जाना है तथा परिवर्तनीय मँहगाई भत्ता में वृद्धि एवं अन्य कटौतियों के भुगतान का अनुमोदन कार्यपरिषद् में प्राप्त कर लिया जायेगा।

वित्त समिति उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या: 12.08

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

2-- विश्वविद्यालय के शिक्षको हेतु डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय टीचर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर वित्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए कार्य परिषद की आगामी बैठक में उपरोक्त सोसाइटी के गठन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।